[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : मैं इसका विरोध करते हुए वॉक आउट करता हूं।

12.27 म.प.

तत्पश्चात श्री मोहन रावले सभा भवन से बाहर चले गए।

12.28 म.प.

[अनुवाद]

'हवाला मामले' से संबंधित आरोपों और कुछ संसद सदस्यों को गैर कानूनी रूप से धन दिए जाने संबंधी अभिकथनों का उत्तर देने में सरकार की असफलता असंतोष के संबंध में प्रस्ताव–जारी

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह दो शब्द कहें।

प्रधानमंत्री (श्री पी.वी. नरसिंहराव) : अध्यक्ष महोदय, मेरी सहयोगी, श्रीमती आल्वा इस संबंध में एक विस्तृत एवं संक्षिप्त तथ्यों पर आधारित उत्तर देंगी। इस बीच, मैं अति संक्षिप्त रूप में यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने कभी भी जांच में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की है। माननीय उच्चतम न्यायालय इस जांच के विभिन्न स्तरों पर निगरानी रखता आया है तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो केवल उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर ही काम करता रहा है।

एक माननीय सदस्य : कब से?

(श्री पी.वी. नरसिंहराव) : प्रारंभ से ही उच्चतम न्यायालय ने अपने 1.3.1996 के आदेश में जो टिप्पणी की है उसे मैं उद्धृत कर रहा हूं, " किसी पक्षपात की धारणा को समाप्त करने के लिए तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच की विश्वसनीयता की समाप्ति तथा इस जांच में निष्पक्षता एवं वस्तुनिष्ठता के न होने के संबंध में किसी युक्तिसंगत धारणा से बचने के लिए, निर्देश दिया जाता है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले में व्यक्तिगत रूप से रुचि रखनेवाले अथवा किसी आरोप में जांच के परिणामस्वरूप प्रभावित होने वाले किसी प्राधिकारी से कोई अनुदेश नहीं लेगा अथवा उसे कोई रिपोर्ट नहीं देगा अथवा कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराएगा''... **(व्यवधान)**

महोदय, मैं चाहता हूं कि मेरी बात सुनी जाए। मेरी बात सुनने के लिए यहां इतना अधिक जोर डाला गया है कि मैं चाहूंगा कि मेरी बात सुनी चाहिए। यह निर्देश उस किसी भी प्राधिकारी पर बिना किसी भेदभाव के लागू होता है जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।

हम यह भी कहना चाहते हैं कि यह, इस संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से निर्देश के बारे में विद्वान महाधिवक्ता ने आगे कहा है कि न तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक और न ही उनका कोई अधिकारी किसी प्राधिकारी को इस जांच के संबंध में कोई ब्यौरा दे रहा है।

महोदय, पिछला वाक्य महाधिवक्ता का ही है। दूसरा पैरा पुन: न्यायालय में उपस्थित केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की सलाह पर ही महाधिवक्ता ने कहा है।

इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को किस प्रकार कार्य करना चाहिए इस संबंध में सरकार के दृष्टिकोण को ही उच्चतम न्यायालय के आदेश में प्रतिपादित किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कुछ नहीं करने के लिए कहा है, जो उसने अभी तक नहीं किया है तथा जो नहीं करना चाहता है। देश के कानून को अपने हिसाब से काम करने दिया जाए; किसी भी स्थिति में इसका परित्याग न किया जाए।

चूंकि यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, अत: इस समय कुछ भी अधिक कहना उचित नहीं होगा।... **(व्यवधान)**

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : महोदय, उच्चतम न्यायालय का आदेश प्रधानमंत्री के विरुद्ध निंदात्मक है। ... **(व्यवधान)** प्रधानमंत्री को इस संबंध में कुछ कहना चाहिए ... **(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल): महोदय, ऐसा कहे बिना वे कह सकते है कि उच्चतम न्यायालय को इस प्रकार का आदेश क्यों देना पड़ा ... **(व्यवधान)** उच्चतम न्यायालय ने कुछ टिप्पणियां की हैं, उसका कोई कारण तो होना चाहिए ... **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, इसे मात्र एक सामान्य मामले के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम सरकार के मुखिया के मुख से सुनने पर जोर दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री उस विभाग के प्रभारी हैं जो इस मामले पर विचार कर रहा है तथा जिसका केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण है। पहली मार्च को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार का निर्देश दिए जाने का क्या कारण है? यदि माननीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के आकलन की स्थिति जैसा कि महाधिवक्ता ने व्यक्त किया है, को स्वीकार कर लिया होता तो उच्चतम न्यायालय को कभी-भी इस प्रकार का सख्त आदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह एक मुद्दा है।

दूसरा पहलू अति महत्वपूर्ण है। हम यह जानना चाह रहे हैं कि इस आदेश का प्रभाव क्या होगा। जहां तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो का संबंध है, आज यह एक विशेष प्रकार की संस्था बन गई है, सरकार का कोई भी व्यक्ति इसका नियंत्रण नहीं कर रहा। इसके ऊपर कोई राजनीतिक प्राधिकारी नहीं है। संपूर्ण हवाला कारोबार के संबंध में, पहली मार्च से जो कुछ भी हो रहा है, कोई भी मंत्री जिम्मेदारी नहीं ले रहा। अत:, हम यह जानना

चाहते हैं कि पहली मार्च से केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्यकाल के बारे में, उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद जो कुछ घटा है, उसके बारे में भी, क्या प्रधानमंत्री समझते है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर राजनीतिक प्राधिकार अथवा प्रशासनिक प्राधिकार उनके पास है और क्या यह आदेश प्रधानमंत्री द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के नियंत्रण को प्रतिबिम्बित नहीं करता?... (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : जी, नहीं ...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यही कारण है कि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की जांच करने के बारे में बिना किसी अपवाद के प्रधानमंत्री अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को मना किया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो उन्हें जानकारी तक नहीं देगा। यह तो स्थिति है ...(व्यवधान) मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री, सरकार के मुखिया के रूप में तथा सदन के नेता के रूप में, विचलित महसूस करते हैं अथवा इस संबंध में विचलित नहीं महसूस करते हैं? क्या भारत की संसद आज जांच के मामले में प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी के प्रश्न पर विचार कर सकती है? महोदय, इसलिए, आज संसद के इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि हम किसी को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते ...(व्यवधान) इन मामलों को सदैव पक्षपात पूर्ण ढंग से न देखें। इसमें एक संवैधानिक प्रश्न निहित है; संविधान का औचित्य निहित है। प्रश्न यह है कि क्या भारत की संसद को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है कि जहां यह सरकार के कुछ कार्यों के प्रति उसे उत्तरदायी नहीं ठहरा सकती। क्या हमारे देश के संविधान का ही सिद्धांत है अथवा क्या यही भारत की संसद के प्रति मंत्रियों का उत्तरदायित्व है? ये मूल प्रश्न है। प्रधानमंत्री इनका उत्तर देना नहीं चाहते। उन्होने जो कुछ कहा है, हमने भी वही कहा है। यह पर्याप्त नहीं है। अत: इस पर नैभित्तिक रूप से विचार न करें। इस पर साधारण ढंग से विचार किया जा रहा है आपका प्राधिकार आप से ले लिया गया है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहें, लेकिन एक संसद सदस्य के रूप में मेरा प्राधिकार मुझसे छीना जा रहा है, इसका मुझे ध्यान है।

इस देश में ऐसा नहीं हो सकता। ...(व्यवधान) महोदय इसलिए मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे इस प्रश्न का उत्तर दें क्योंकि वे सरकार के अभिरक्षक हैं ...(व्यवधान)

श्री पी.वी. नरसिंहराव : क्या मैं इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं?

सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच के लिए कई मामले सौपें गए हैं। इन मामलों में कोयला एजेन्सियों की कथित असफलता मानव अधिकारों का उलंघन, व्यक्तियों का गायब होना, हत्या, हिरासत, में मौतें, महिलाओं के प्रति अत्याचार आदि तरह-तरह के विभिन्न मामलें सम्मिलित हैं। उनमें से कुछ मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, मुजफ्फरनगर की घटनाओं, श्री जे.एस. कालरा, पीलीभीत, भारतीयों पुलिस सेवा के कुछ अधिकारियों द्वारा हिसार के कुछ व्यक्तियों को गैरकानूनी रूप से नजरबन्द रखने, धोखाधड़ी और भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी को झूठा शपथ-पत्र (एफीडेविट) प्रस्तुत करने, गूरदासपुर के निकट कुछ व्यक्तियों के गायब हो जाने आदि से संबंधित हैं। इन सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय और सम्बंधित उच्च न्यायालयों ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। तदनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो सीधे सम्बन्धित न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है ... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं, मेरा मुद्दा यह नहीं है ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले उनका बात सुनने दो.....(व्यवधान)

श्री पी.वी. नरसिंह राव : इन मामलों में सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही है। केवल जब मुकद्दमा चलाने की आवश्यकता होती है, या संसद को कोई जानकारी देनी होती है तभी उक्त प्रयोजन विशेष के लिए जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। यदि केन्द्रीय जांच ब्यूरो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में सीधे सम्बन्धित न्यायालय को अपनी रिपोर्ट देता है तो इसमें कोई असाधारण बात नहीं है। सरकार ने न तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो से ये रिपोर्ट मांगी है और न ही इन मामलों में कोई हस्तक्षेप किया है। इन मामलों में पूरी कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप चल रही है। ... (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : यह सभा पिछले सरकार विशेषकर प्रधानमंत्री महोदय का उत्तर प्राप्त करने हेतु बड़ी व्याग्रता से इन्तजार कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय के पहली मार्च के अभूतपूर्व आदेश के प्रति उनकी प्रतिक्रिया सुनने का इन्तजार कर रही है।

महोदय, चाहे मैं ऐसा करने में सही हूं या गलत, मैं हवाला मामले में सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों न्यायमूर्ति वर्मा, भरूच और सेन तथा जन हित याचिका के चार याचिकादाताओं श्री विनीत नारायण, श्री राजिन्द्र पुरी और दो अन्य के द्वारा अदा की जा रही भूमिका के प्रति सभा में हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करता हूं। लेकिन उनकी सतर्कता के लिए, उनके बने रहने के लिए ये मामले कभी प्रकाश में नहीं आए। इन्हें दबा दिया गया होता, इन्हें कौन दबाता, महोदय, कोई अनुमान लगा सकता है।

तथाकथित जैन डायरी से जो नामों की सूची उद्घाटित हुई है वे नाम पिछले चार साल से चले आ रहे हैं। इनके बारे में चार साल पहले पता चल गया था। लेकिन इस बारें में कुछ नहीं हो रहा था। इन रिपोर्टों मे इन लोगों के बारे में तथा इस राशि के बारे में, इस धन के स्त्रोत के बारे में यह धन कहां से आ रहा है-इस प्रश्न से इतर कि यह धनराशि कौन प्राप्त कर रहा है-यह धनराशि देश में किस प्रयोजनार्थ खर्च की जा रही थी, इस